कार्यालय वन संरक्षक, वन वृत्त, इन्दौर
नवरतनबाग, फॉरेस्ट केम्पस, इन्दौर, म.प्र. –

Tel. (O) 0731-2491831 (Fax) 0731-2491657 E-mail : ccf.ind@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 23 / 2827 इन्दौर, दिनांक : 7–6–2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
म0प्र0 भोपाल.

By E-mail

विषयः–अलीराजपुर जिले में ए.डी.बी.–6 योजना के अंतर्गत भाभरा–उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन / चौड़ीकरण हेतु 2.77 हे. वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम धार को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भः–आपका पृष्ठांकन क्रमांक / एफ–5 / 1141 / 2022 / 10–11 / 681 दिनांक 13.2.2023 एवं वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल अलीराजपुर का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 1026 दिनांक 7.3.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई संक्षेपिका वन मण्डल अलीराजपुर से प्राप्त कर संलग्न अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

मुख्य वन संरक्षक
(क्षे.) वन वृत्त इन्दौर

5-6-23

47K228

EMAIL

- 7 MAR 2023

# कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अलीराजपुर (म0प्र0)

फॉरेस्ट केम्पस, खण्डवा बडौदा रोड़, अलीराजपुर–457887
Tel & Fax No. 07394-234530 E-mail : dfot.alp@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 1026 दिनांक : 07-03-23

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
इन्दौर वृत्त इन्दौर

विषय :– अलीराजपुर जिलें में ए.डी.बीए–6 योजना के अन्तर्गत भाभरा–उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन / चौडीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–5 / 1141 / 2022 / 10–11 / 680 दिनांक 13.02.2023।
2) वनपरिक्षेत्राधिकारी जोबट का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 242 दिनांक 02.03.2023।

— ★ —

उपरोक्त संदर्भित विषय मे निवेदन है कि अलीराजपुर जिलें में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार की ए.डी.बीए–6 योजना के अन्तर्गत भाभरा–उदयगढ़ मार्ग प्रकरण में आवेदक विभाग की निर्माण एजेन्सी द्वारा वनभूमि पर बिना अनुमति के 500 मीटर लंबाई में मार्ग निर्माण कार्य कर लिया गया है।

वर्तमान में मौका स्थल निरीक्षण करने पर उक्त निर्माण स्थल क्षेत्र वन विभाग मानचित्र अनुसार वनभूमि तथ राजस्व रिकार्ड अनुसार पटवारी हल्का नंबर 12 के खसरा क्रमांक 52,128,132,133,134,155,154,145,144,141,136 की राजस्व भूमि हैं। वनखण्ड अकोलिया मध्यभारत फॉरेस्ट एण्ड ट्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट ग्वालियर की अधिसूचना क्रमांक / 1101/XF/202(54) से संरक्षित वन घोषित है उक्त अधिसूचना (रिक्त) है जिसमें वनविभाग को हस्तातरित ग्राम के खसरे व रकबे को कोई उल्लेख नही है न उक्त वनखण्ड का मानचित्र उपलब्ध हैं। जिस कारण से वन / राजस्व सीमा स्पष्ट नही हो पा रही है। निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा उक्त क्षेत्र राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि के रूप में दर्ज होने के कारण राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त कर मौके पर निर्माण कार्य किया।

वर्तमान में उक्त भूमि पर वन / राजस्व सीमा अस्पष्ट है तथा आवेदक संस्थान द्वारा राजस्व अभिलेखों के आधार पर संबंधित विभाग की समस्त प्रक्रिया का पालन कर त्रुटिपूर्वक वनक्षेत्र में कार्य किया गया।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल अलीराजपुर

पृ0 क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 1027 दिनांक : 07-03-23

प्रतिलिपि : –

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल अलीराजपुर

D:\Letter-2023.doc

1918
09/03/23